न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 77/2016 दायरा दिनांक : 18.04.2016

उनवान

1— पाना बाई आयु 60 साल पत्नी बद्रीलाल, जाति धोबी, निवासी बिन्दायका, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— बद्रीलाल आयु 65 साल आत्मज गोपाल, जाति धोबी, निवासी बिन्दायका, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— रामचन्द्र आयु 50 साल आत्मज गोपाल, जाति धोबी, निवासी बिन्दायका, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— राध्या वल्द रामा, जाति धोबी, निवासी ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मृतक कायम मुकामान :—

2/1— मुस0 मन्नी बाई आयु 80 साल पत्नी राध्या, जाति धोबी, निवासी ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2/2— रमेश आयु 60 साल पुत्र राध्या, जाति धोबी, निवासी ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2/3— जमनालाल आयु 55 साल पुत्र राध्या, जाति धोबी, निवासी ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2/4— देवकरण आयु 40 वर्ष पुत्र राध्या, जाति धोबी, निवासी ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2/5— शांति बाई पुत्री राध्या, जाति धोबी, पत्नी भंवर लाल धोबी, निवासी रटलाई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2/6– बनारसी पुत्री राध्या धोबी पत्नी पप्पू धोबी, निवासी बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2/7– गीता पुत्री राध्या, पत्नी मोहनलाल धोबी, जाति धोबी, निवासी ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2/8– भूली बाई पुत्री राध्या, पत्नी श्रीलाल धोबी, जाति धोबी, निवासी ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अकलेरा, जिला झालावाड

4– शाखा प्रबन्धक सी बी आई अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अजय श्रृंगी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.01.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 123/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 रामचन्द्र ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बिन्दायका, तहसील अकलेरा में खसरा नम्बर 888 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा आराजी राध्या, प्रभू, रामा

के खाते में दर्ज है । प्रभू के 5 बीघा 19 बिस्वा , राध्या के 5 बीघा 18 बिस्वा, पृथक खाते में दर्ज की गई । प्रभू वल्द रामा ने अपने हिस्से की आराजी 5 बीघा 19 बिस्वा, रामचन्द्र हिस्सा 1/3, बद्री लाल हिस्सा 2/3 बेचान कर दी । 5 बीघा 18 बिस्वा आराजी में से 16 बिस्वा आराजी रामचन्द्र, बद्रीलाल, राध्या वल्द रामा के खाते से अवाप्त की गई परन्तु त्रुटिवश 16 बिस्वा आराजी अकेले रामचन्द्र और प्रतिवादी नम्बर 2 बद्रीलाल के खाते की आराजी से कम की गई । जबकि राध्या वल्द रामा के खाते से 8 बिस्वा आराजी कम होनी चाहिए । राध्या के द्वारा खसरा नम्बर 888 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा आराजी प्रतिवादी नम्बर 3 पाना बाई को बेचान कर दी है जबकि उन्हें 5 बीघा 10 बिस्वा का ही बेचान करने का अधिकार था । प्रतिवादी नम्बर 3 खाते में से 8 बिस्वा आराजी वादी रामचन्द हिस्सा 1/3 प्रतिवादी नम्बर 2 बद्री लाल हिस्सा 2/3 दर्ज कराने के अधिकारी हैं । अतः दावा वादी स्वीकार कर 5 बीघा 18 बिस्वा में से 8 बिस्वा आराजी के 1/3 भाग में वादी और 2/3 भाग में प्रतिवादी नम्बर 2 बद्रीलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.04.2013 को दावा वादी स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । वह सद्भावी क्रेता है । अवाप्त की गई आराजी के बाबत अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार से परे हैं । वादग्रस्त आराजी पर कभी भी वादी का कब्जा नहीं रहा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय

की जानकारी दिनांक 08.03.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट सद्भावी क्रेता है और वादग्रस्त आराजी को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि राध्या को 8 बिस्वा आराजी का मुआवजा भी जारी किया गया था । मुआवजा प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा 5 बीघा 18 बिस्वा का विक्रय पत्र लिखा गया जबकि मुआवजा प्राप्त करने के बाद उनके खाते में 5 बीघा 10 बिस्वा आराजी ही शेष बचती है । उनके द्वारा अधिक आराजी का बेचान किया गया है जो निष्प्रभावी है । अपीलार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए थे । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा डिक्री किया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर सी 1995 पेज 390, आर आर सी 1995 पेज 601, आर आर सी 1995 पेज 60 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पाना बाई और बद्रीलाल प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 हैं । प्रतिवादी नम्बर 2 के खिलाफ दिनांक 01.11.2011 एक तरफा कार्यवाही की गई है । प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया था । उनका जवाब दिनांक 20.11.2012 को बन्द किया गया है । प्रतिवादी नम्बर 2 बद्रीलाल का नोटिस उनकी बहु को तामील किया जाना अंकित है । हम न्यायहित में इस प्रकरण में अपीलांटगण को जवाबदेही का अवसर दिया जाना आवश्यक समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2013 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.04.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा